

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—135/2010 वाद पत्र

अनवान

- 1—राजेश पुत्र शेषमल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—कान्ता देवी पुत्री शेषमल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—लीला देवी पुत्री शेषमल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—उगमी बेवा शेषमल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1—पन्ना लाल पुत्र छोगा पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—बंशी लाल मुतबन्ना चतर्भुज पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—जगदीश पुत्र गणेश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—जमना देवी पत्नि जगदीश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—कल्पना पुत्री जगदीश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—सांवर मल पुत्र जगदीश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—पदम पुत्र जगदीश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—बालुराम पुत्र गणेश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—गोपी पुत्र शम्भु लाल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—मीटु पुत्र कजोड़ी मल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट बाबत विभाजन आराजी

1—पर्वत सिंह

2—चान्दमल सुखलेचा

अधिवक्ता वादीगण

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2019 राजेश पिता शेषमल पारीक निवासी झड़ौल द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.06.2018 को पेश हो चुका है तथा इसकी अपील भी खारीज हो चुकी है जिससे प्रकरण में आये बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है प्रकरण पुराना है व वादी राजेश काफी समय से न्याय के लिये भटक रहा है उक्त प्रकरण की पत्रावली को पलब फरमा सुनवाई करने का आदेश प्रदान कराया जावे प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली तलब की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया श्रीमान् भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 393/12 दिनांक 21.12.17 को खारीज की गई है। ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 696 कुल किता 16 कुल रकबा 5.70 है० भूमि स्थित है। भूमि

दिनांक 04.04.2019

का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने तथा मौके की स्थिति अन्य हो तो उसको भी अलग से रिपोर्ट में दरसावे तथा समस्त खेतों में विभाजन के उपरान्त पहुंच का मार्ग अवश्य प्रस्तावित करें व प्रस्तावित पहुंच की भूमि को सम्पूर्ण रकबे से कम करके ही हिस्सा फेलाते हुए अलग-अलग रंगों से अलग-अलग सहखातेदारों के बीच विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें जिसमें आराजी नम्बर 1033, 2995/2063 किस्म गे.मु.आ.चा. आराजी नम्बर 1052 किस्म गे.मु.खड़डा तथा आराजी नम्बर 1034 रकबा 0.25 में नवीन चाह खोदे जाने से उक्त आराजियात को पूर्ववत सामलात रखते हुए बाई मिटस एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 12.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

#### आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 1051/1 रकबा 0.41 है, आराजी संख्या 1053/1 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.28 कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है, राजेश पिता शेषमल, कान्तादेवी, लीलादेवी पुत्री शेषमल पारीक सा देह खातेदार आराजी संख्या 1030 रकबा 0.21 है। आराजी संख्या 1031 रकबा 0.25 है। आराजी संख्या 1032 रकबा 0.42 है। आराजी संख्या 1038 रकबा 0.50 है। आराजी संख्या 1050 रकबा 0.25 है। आराजी संख्या 1051/2 रकबा 0.26 है। आराजी संख्या 1053/2 रकबा 0.31 है। आराजी संख्या 1058 रकबा 0.46 है। आराजी संख्या 1063 रकबा 0.50 है। आराजी संख्या 1064 रकबा 0.96 है। आराजी संख्या 1187 रकबा 0.03 है। कुल किता 11 कुल रकबा 4.49 है। पन्नालाल पिता छोगा बालुराम पिता गणेश सांवरमल, पवन कुमार पिता जगदीश कल्पना पुत्री जगदीश जमनादेवी पत्नि जगदीश ब्राम्हण पारीक सा. देह खातेदार रहन बीआरजीबी मौखुन्दा हिस्सा पन्नालाल पिता छोगा का रहन जीएसएस झड़ौल हिस्सा बालु का आराजी संख्या 1033 रकबा 0.01 है.गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 1034 रकबा 0.25 है. कु.3 आराजी संख्या 1052 रकबा 0.03 है.गे.मु.खड़डा आराजी संख्या 2995/1063 रकबा 0.02 है.गे.मु.आ.चा. कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है। सामलाती खाता बदस्तुर रखने एवं दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-135/2010 वाद पत्र

अनवान

- 1-राजेश पुत्र शेषमल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-कान्ता देवी पुत्री शेषमल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-लीला देवी पुत्री शेषमल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-उगमी बेवा शेषमल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1-पन्ना लाल पुत्र छोगा पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2- बंशी लाल मुतबन्ना चतर्भुज पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-जगदीश पुत्र गणेश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-जमना देवी पत्नि जगदीश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5- कल्पना पुत्री जगदीश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6- सांवर मल पुत्र जगदीश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7- पदम पुत्र जगदीश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8- बालुराम पुत्र गणेश पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9- गोपी पुत्र शम्भु लाल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10- मीठु पुत्र कजोड़ी मल पारीक निवासी झडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम झडौल पटवार हल्का झडौल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में आराजी संख्या 1051/1 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 1053/1 रकबा 0.21 है0 आराजी संख्या 1057 रकबा 0.28 कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है0 राजेश पिता शेषमल, कान्तादेवी, लीलादेवी पुत्री शेषमल पारीक सा देह खातेदार आराजी संख्या 1030 रकबा 0.21 है. आराजी संख्या 1031 रकबा 0.25 है. आराजी संख्या 1032 रकबा 0.42 है. आराजी संख्या 1038 रकबा 0.50 है. आराजी संख्या 1050 रकबा 0.59 है. आराजी संख्या 1051/2 रकबा 0.26 है. आराजी संख्या 1053/2 रकबा 0.31 है. आराजी संख्या 1058 रकबा 0.46 है. आराजी संख्या 1063 रकबा 0.50 है. आराजी संख्या 1064 रकबा 0.96 है. आराजी संख्या 1187 रकबा 0.03 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.49 हैक्ट. पन्नालाल पिता छोगा बालुराम पिता गणेश सांवरमल, पवन कुमार पिता जगदीश कल्पना पुत्री जगदीश जमनादेवी पत्नि जगदीश ब्राम्हण पारीक सा. देह खातेदार रहन बीआरजीबी मौखुन्दा हिस्सा पन्नालाल पिता छोगा का रहन जीएसएस झडौल हिस्सा बालु का आराजी संख्या 1033 रकबा 0.01 है.गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 1034 रकबा 0.25 है. कु.3 आराजी संख्या 1052 रकबा 0.03 है.गे.मु.खड्डा आराजी संख्या 2995/1063 रकबा 0.02 है.गे.मु.आ.

चा. कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 हैक्ट. सामलाती खाता बदस्तुर रखने एवं दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 04.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा